प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)

दावा निपटान प्रक्रिया

(दिनांक: 10.06.2021)

1. बीमित सदस्य की मृत्यु होने पर, नामांकित व्यक्ति (या यदि नामांकित नाबालिग है तो उसका नियुक्त प्रतिनिधि, और यदि नामांकन नहीं है या नामांकित पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका है तो विधिक उत्तराधिकारी) द्वारा दावा-प्रपत्र संबंधित बैंक / डाकघर शाखा में प्रस्तुत किया जाएगा, अधिमानतः मृत्यु की तिथि से 30 दिनों के भीतर।

2. यदि पॉलिसी शुरू होने / पुनः जुड़ने के 30 दिनों के भीतर मृत्यु होती है (नई सदस्यता या विलंबित नवीनीकरण के मामले में), तो दावा देय नहीं होगा, सिवाय दुर्घटना से मृत्यु के मामलों में।

3. बैंक / डाकघर निम्न दस्तावेजों की जांच करेगा:
a) मृत्यु प्रमाण (या 30 दिनों के भीतर दुर्घटना से मृत्यु होने पर दुर्घटना का प्रमाण)
b) मृतक और नामांकित / दावेदार का आधार और पैन नंबर
c) नामांकित / दावेदार का KYC दस्तावेज
d) पासबुक के पहले दो पृष्ठ / बैंक स्टेटमेंट / रद्द चेक
e) नामांकित की मृत्यु का प्रमाण (यदि लागू हो)
f) विधिक उत्तराधिकारी होने का प्रमाण (यदि दावेदार नामांकित नहीं है)
g) दावा निपटान हेतु अग्रिम रसीद (भरी और हस्ताक्षरित)

4. बैंक / डाकघर का अधिकृत अधिकारी सदस्य के खाते की जांच करेगा, ऑटो-डेबिट, प्रीमियम भुगतान, नामांकन आदि की पुष्टि करेगा और दावा प्रपत्र में विवरण भरेगा।

5. नामांकित / दावेदार की पहचान की पुष्टि के लिए KYC दस्तावेजों की जांच की जाएगी तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसी सदस्य के लिए दावा पहले भेजा नहीं गया है।

6. बैंक / डाकघर दावा दस्तावेज़ 7 दिनों के भीतर बीमा कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजेगा।

7. बीमा कंपनी यह सत्यापित करेगी कि प्रीमियम जमा हुआ है और सदस्य मास्टर पॉलिसी में शामिल है।

8. बीमा कंपनी यह भी जांच करेगी कि उसी दावे का भुगतान किसी अन्य बीमाकर्ता द्वारा तो नहीं किया गया है। यदि भुगतान हो चुका है, तो दावा अस्वीकार किया जा सकता है।

9. दावा प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर बीमा कंपनी द्वारा उसका निपटान किया जाएगा।

10. स्वीकृत दावा राशि नामांकित / दावेदार के बैंक / डाकघर खाते में जमा की जाएगी।

11. यदि नामांकन नहीं है या नामांकित पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो राशि विधिक उत्तराधिकारियों को न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर दी जाएगी।

12. दावा स्वीकृत या अस्वीकृत होने पर, बीमा कंपनी बैंक / डाकघर को सूचना भेजेगी और दावेदार के मोबाइल पर संदेश भेजेगी, साथ ही जन सुरक्षा पोर्टल पर जानकारी अपलोड करेगी।

13. समय सीमा:

- बैंक द्वारा दावा भेजने की अधिकतम समय सीमा: 7 दिन
- बीमा कंपनी द्वारा भुगतान की अधिकतम समय सीमा: 7 दिन

14. यदि बैंक / डाकघर ने प्रीमियम समय पर बीमा कंपनी को नहीं भेजा, तो दावा भुगतान की जिम्मेदारी बैंक / डाकघर की होगी।

टिप्पणियाँ:

1. नियुक्त प्रतिनिधि: वह व्यक्ति जिसे सदस्य ने नामांकित (नाबालिग) के लिए नामित किया है।

2. दावेदार: यदि नामांकन नहीं है, तो विधिक उत्तराधिकारी जो न्यायालय से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है।

3. दुर्घटना: अचानक, अप्रत्याशित और बाहरी कारणों से हुई घटना।

मृत्यु प्रमाण के लिए दस्तावेज़:

- मृत्यु प्रमाण पत्र
- अस्पताल का प्रमाण / डिस्चार्ज सारांश
- पंजीकृत डॉक्टर का प्रमाण पत्र
- जिला मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाण पत्र

दुर्घटना मृत्यु के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़:

- FIR / पंचनामा
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- अस्पताल रिकॉर्ड (सर्पदंश, गिरना आदि मामलों में)

KYC दस्तावेज़: आधार कार्ड/वोटर आईडी/मनरेगा कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/पासपोर्ट